

पीठासीन अधिकारी :- संजय कुमार अग्रवाल आर.ए.एस.

अनवान :- राजस्व वाद संख्या 06/2022

1. मोहित पुत्र श्री रणवीर जाति जाट उम्र 22 वर्ष निवासी चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

... वादी

बनाम

1. रणवीर पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रणवीर जाति जाट निवासी चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. मनीषा (पुत्री रणवीर) पत्नी श्री उमेश
4. किरण (पुत्री रणवीर) पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार } जाति जाट निवासी रामपुरा तह.हनुमानगढ़ (राज0)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता | वादी |
| 2. श्री ऋषिपाल जोशी | प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 |
| 3. पैरोकार राज | प्रतिवादी-5 |

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 07.02.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिताजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादी के माताजी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की बहने हैं। चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26 के किला नम्बर 1/1(0.114 है.), 10/1(0.127 है.), 11/1(0.013 है.), 17/2(0.126 है.), 18 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 2.151 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2/1(0.228 है.), 2/2(0.025 है. खाला), 9, 10, 11, 12, 20(प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.228 है.) = 1.999 है. {1.949 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कुल 4.150 है. {4.100 है. नहरी + 0.050 है. खाला} कृषि भूमि वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर पुत्र मनीराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 14 ए एफ के खाता संख्या 47/40 की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। वादी के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी के दादाजी मनीराम पुत्र लक्ष्मणराम के स्वर्गवास होने के पश्चात इन्तकाल संख्या 50 के द्वारा ए. विभाजन नामान्तरण संख्या 97 व 98 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है, जिसमें वादी का जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादी घोषित करवाने

उपखण्ड अधिकारी (राज)
श्रीगंगानगर

(राजस्व वाद संख्या :- 6/2022 अनवान मोहित वनाम रणवीर)

का अधिकारी है। विरास्त नामान्तरण में वादी के पिताजी का नाम "विजय" दर्ज है। विजय उर्फ रणवीर वादी के पिताजी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक साथ संयुक्त परिवार में निवास करते हैं, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया :-

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
मोहित पुत्र श्री रणवीर जाति जाट निवासी चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुख्या नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुख्या नम्बर 37 के किला नम्बर 1/1 (0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2/1(0.228 है.),2/2(0.025 है. खाला), 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.)=1.012 है.[0.962 है. नहरी + 0.050 है. खाला]
श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रणवीर जाति जाट निवासी 14 एफ ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुख्या नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुख्या नम्बर 37 के किला नम्बर 11, 12, 20(प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.228 है.) = 0.987 है नहरी
रणवीर पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी 14 एफ ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)	चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के तह. व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुख्या नम्बर 26 के किला नम्बर 1/1(0.114 है.),10/1(0.127 है.), 11/1(0.013 है.), 17/2 (0.126 है.), 18 ता 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 2.151 है. नहरी

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादी को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है। उक्त विभाजन में आई भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 रणवीर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादी को धमकिया देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 30/10/2021 को, वादी को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुख्यास्मत है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादी की बहने व प्रतिवादी सं. 2 वादी की माताजी होने के कारण पक्षकार है एवं प्रतिवादी सं. 5 लैण्ड होल्डर होने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर



के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

- (क) कि चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1/1 (0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2/1(0.228 है.), 2/2(0.025 है. खाला), 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.012 है.[0.962 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि वादी मोहित पुत्र रणवीर जाति जाट निवासी 14 एफ ग्राम पंचायत मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जावे।
- (ख) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे
- (ग) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- (घ) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का पंचायत व मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर के नाम दर्ज चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2/1(0.228 है.),2/2(0.025 है. खाला), 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.)=1.012 है.[0.962 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि वादी मोहित पुत्र श्री रणवीर जाति जाट निवासी चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को तथा चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 11, 12, 20(प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.228 है.) = 0.987 है नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रणवीर जाति जाट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को बंटवारा में दी गई है। अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर के नाम दर्ज चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला न. 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2/1(0.228 है.),2/2(0.025 है. खाला), 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.)=1.012 है.[0.962 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि वादी मोहित पुत्र श्री रणवीर जाति जाट निवासी

01-1
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(राजस्व वाद संख्या :- 176/2023 अनवान राकेश कुमार बनाम द्रोपती)

चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की तथा चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 11, 12, 20(प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.228 है.) = 0.987 है नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रणवीर जाति जाट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) की घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति है।

॥ आदेश ॥

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 रणवीर के नाम दर्ज चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला न. 1/1(0.228 है.), 1/2(0.025 है. खाला), 2/1(0.228 है.), 2/2(0.025 है. खाला), 9, 10 (प्रत्येक में 0.253 है.)=1.012 है.[0.962 है. नहरी + 0.050 है. खाला] कृषि भूमि का वादी मोहित पुत्र श्री रणवीर जाति जाट निवासी चक 14 ए एफ, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है तथा चक 14 ए एफ पटवार हल्का 4 के. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 47/40 के मुरब्बा नम्बर 26, 37 की कुल 4.150 है. नहरी मय खाला में से मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 11, 12, 20(प्रत्येक में 0.253 है.), 21(0.228 है.) = 0.987 है नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती निर्मला पत्नी श्री रणवीर जाति जाट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) को खातेदार घोषित किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण का खाता अलग अलग नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07.02.2024 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(संजय कुमार अस्थिकारी (राजस्व))
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर